

न्यायालय - सहायक कलक्टर (एन) शाहपुर, जयपुर
ऊधवा कौंठ लनाम ओमप्रकाश कौंठ
प्रवृत्त बाबत असाई निषेधाज्ञा धारण 2/2 एनएसए
सु.नं. 33/2023

11/9/23 पत्रावली फेश हुई। प्रार्थी/कथील प्रार्थी उपर नहीं।
आवाज लगाई गई, बार-बार आवाज लगाने पर
भी धीरे उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली अदालत की,
अदम हाथिरी में बकारीज जी जाती है। पत्रावली
कुं सल सुभार होकर दायिष दफ्तर ही एवं मूल
पाद के हमडिता रहे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.